न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/149

1. शोजी लाल आयु 25 वर्ष आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. ग्यारसी आयु 60 वर्ष बेवा बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. मियाराम आुय 50 वर्ष आत्मज रामनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. तुलसा बाई आयु 50 वर्ष पुत्री रामनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. प्रेम बाई आयु 45 वर्ष पुत्री रामनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. बीरबल आयु 40 वर्ष आत्मज मोती जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला कोटा ।
2. बादशाह आयु 34 वर्ष आत्मज मोती जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला कोटा ।
3. सन्तरा आयु 45 वर्ष पत्नी महावीर जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला कोटा ।
4. कालूलाल आयु 23 वर्ष आत्मज महावीर जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला कोटा ।
5. अन्तराम आयु 25 वर्ष आत्मज महावीर जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला कोटा ।
6. हेमराज आयु 55 वर्ष आत्मज रामनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम रघुनाथगंज तहसील नैनवा जिला कोटा ।
7. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।
8. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान जिलाधीश, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री दीपक साहू, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 6 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 18.10.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.07.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया गया कि ग्राम बालापुरा तहसील नैनवा में खसरा नम्बर 51 रकबा 1.1002 हैक्टर भूमि स्थित है । पूर्व में रघुनाथ आत्मज घासी मीणा निवासी रघुनाथगंज तहसील नैनवा उक्त भूमि का खातेदार था जिनके दो पुत्र रामनारायण और मोती थे जो रघुनाथ की मृत्यु के बाद भूमि के खातेदार बन गये । प्रार्थीगण मोती के जायन्दा वारिसान हैं । वादग्रस्त आराजी रघुनाथ आत्मज घासी के खाते में दर्ज थी किन्तु राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से वादग्रस्त आराजी रघुनाथ जी की मृत्यु के बाद अकेले रामनारायण के खाते दर्ज कर दी जबकि रामनारायण व मोती दोनो बराबर के खातेदार कृषक हैं तथा रघुनाथ के वारिस हैं । मृतक रघुनाथ की अन्य खाते की भूमि में मोती का नाम दर्ज हो गया और मोती की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण के खाते दर्ज हुई । प्रार्थीगण उक्त भूमि पर संभाग से काश्त करते चले आ रहे हैं । अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में अपना नाम दर्ज होने का लाभ उठाकर दिनांक 06.07.2021 को वादग्रस्त आराजी को अन्यत्र हस्तान्तरित करने खुर्द–बुर्द करने तथा प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें तथा उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्यथा किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करें । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.07.2021 के द्वारा अप्रार्थीगण को आगामी तिथि तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है ।

4. अप्रार्थी क्रम 1 व 6 ने दिनांक 06.09.2021 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 39 नियम 03 सीपीसी के विधिक प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अदेश 39 नियम 3 (ए) व (बी) की पालना नहीं करने के कारण भी अपीलाधीन निर्णय निरस्त होने योग्य है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार

हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.07.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराय और कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण ने तथ्यों को छुपाते हुए हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा क दावा पेश किया और यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रघुनाथ के खाते में दर्ज थी और रघुनाथ जी की मृत्यु के बाद त्रुटिपूर्ण रूप से रामनारायण के खाते में दर्ज की गई । वादी को उसमें 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे । रेस्पोडेन्ट ने अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया । न्यायालय के द्वारा दिनांक 12.07.2021 को अपीलान्ट के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई । यह अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश 39 नियम 03 के विपरीत पारित की गई है । आदेश 39 नियम 03 (ए) और (बी) की पालना नहीं की गई है । रामनारायण के फौत होने के बाद में यह आराजी अपीलान्टगण के खाते में दर्ज है । रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है । अपीलान्ट को नोटिस जारी नहीं किया गया है और दिनांक 11.08.2021 से 22.11.2021 की तारीख दी गई है । रेस्पोडेन्ट इस स्थगन की आड में अपीलान्ट को बेदखल करने पर अमादा है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे (राज0) पेज 290, डीएनजे 2020 पेज 145, आरआरडी 2020 पेज 01 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील में आये हैं जबकि इनको परीक्षण न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए और परीक्षण न्यायालय विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर सकता है । आदेश 39 नियम 4 सीपीसी के अनुसार इसका निस्तारण करने के लिए परीक्षण न्यायालय सक्षम है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2021 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय के द्वारा दिनांक 12.07.2021 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए दिनांक 11.08.2021 की तारीख दी गई और 11.08.2021 से दिनांक 22.11.2021 की तारीख दी गई । दिनांक 12.07.2021 को जो नाटिस जारी किया गया था वो बाद तामील पत्रावली में संलग्न है परन्तु 11.08.2021 से सीधे ही 22.11.2021 की तारीख दी गई है जो कि सीपीसी के आदेश 39 नियम 03 (ए) के प्रावधानों के विपरीत है । हम इस प्रकरण में परीक्षण न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र व अपीलान्ट अप्रार्थीगण के जवाब प्रार्थना पत्र के आधार पर पत्रावली प्राप्ति के 02 माह के अन्दर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना आवश्यक समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षीय बहस सुनकर पत्रावली प्राप्ति के 02 माह के भीतर प्रकरण का निस्तरण करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 22.11.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/10/21

(भार्गवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा